राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.10(4)न्याय/1998 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2018

-:अधिसूचना:-

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.11.2012 द्वारा सृजित एवं स्थापित अपर जिला न्यायालय, संख्या 3, जयपुर जिला को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रुप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उक्त अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है। उक्त अधिकरण को केवल उन्हीं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर उक्त अधिकरण को अन्तरित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
25/6/18
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक: सामान्य/II/9/2018/ 812 दिनांक: 29/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर, (रजिस्ट्रार सीपीसी, रा.उ.न्या. जयपुर को वास्ते अपलोड करने उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर)
2. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश
3. संबंधित न्यायालय
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय/ रा.न्या.से.(स्था.शाखा)/अधीनस्थ न्यायालय(स्था.शाखा)/ बजट/ भवन/ सांख्यिकी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

29.6.18
रजिस्ट्रार (नियम)